

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 10 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है तथा जो उक्त तालिका के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

तालिका

| क्रम सं० | अध्याय /शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद | माल का विवरण | शर्त |
|----------|----------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 19 or 21 | केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियां । | यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या संबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अतिरिक्त अवधि के भीतर जो इस निमित्त केन्द्रीय कर के अधिकारिता आयुक्त या राज्य कर के अधिकारिता आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अनुज्ञात की जाएगी, वितरित कर दी गई है। |

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

7415
13/11/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्पष्टीकरण- (एक) "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा;

(दो) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 10 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 913/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 10 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the State tax rate of 2.5 percent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table

| Sl. No. | Tariff item, sub-heading, heading or Chapter | Description of Goods | Condition |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 19 or 21 | Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government. | When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, as the case maybe, may allow in this regard. |

Explanation. –

- (i) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
 - (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall deemed to come into force from 18th day of October, 2017.



(Radha Raturi)
Principal Secretary